



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 778) पटना, शुक्रवार, 10 सितम्बर 2021

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2021

सं० EXP-09/2019(Part-7)-झंझारपुर-38—अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 07- झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले **ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक** अभ्यर्थी **श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन, निवासी ग्राम-पोस्ट-पथराही, थाना- लदनियाँ, जिला- मधुबनी, बिहार- 847227** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक: 16 अगस्त, 2021/25 श्रावण, 1943 (शक)

सं० बिहार-लो०सं०/पूर्व अनु०-1/7/2019—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 07- झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेख दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी, जिला, बिहार द्वारा दिनांक- 29-6-2019 के पत्र सं० 2689/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-7) झंझारपुर -5843 के जरिए अग्रेषित की गई रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन जो बिहार के 07-झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 अगस्त, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन के द्वारा 6 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 6 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 1050/Ele., पटना के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 1 जुलाई, 2021 के पत्र सं० 647/Ele. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

“निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 07- झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन, निवासी ग्राम-पोस्ट-पथराही, थाना- लदनियाँ, जिला- मधुबनी, बिहार- 847227 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 16th August, 2021 / 25, Sravana, 1943 (Saka)

No. BR-HP/ES-I/7/2019—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency** in Bihar State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. 2689/Ele. dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No. Exp-09/2019(Part-7) Jhanjharpur-5843, dated 15th July, 2019, **Sh. Surendra Prasad Suman, All India Forward Bloc**, contesting candidate, from **07- Jhanjharpur Parliamentary Constituency** in Bihar State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Madhubani**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 20th August, 2020 was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Surendra Prasad Suman**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 20th August, 2020, **Sh. Surendra Prasad Suman**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Surendra Prasad Suman**, on 6th September, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Madhubani** vide his letter No. 1050/Ele. dated 6th September, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Madhubani** vide his letter No.647/Ele. dated 1st July, 2021. it has been stated that **Sh. Surendra Prasad Suman**, has not submitted any representation or account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Surendra Prasad Suman**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) has no good reason or justification for the failure,
Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Surendra Prasad Suman**, resident of **Vill+PO-Pathrahi, P.S-Ladania, District- Madhubani, State-Bihar, Pincode-847227** and a contesting candidate from **All India Forward Bloc** during General Election to Lok Sabha, 2019 from **07-Jhanjharpur Parliamentary Constituency** of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 778-571+50-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>